शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा–696, कोटा

ऑडिट आक्षेप पूर्ति रिपोर्ट वर्ष अग्र भाग–''ब'' 2021–22

क्रम	आक्षेप क्रमांक	आक्षेप विवरण	संस्था द्वारा पूर्ति	अंकेक्षक टिप्पणी
1	3	गत वर्षो से चले आ रहे महत्वपूर्ण आक्षेपों की पूर्ण रूपेण अनुपालना कर पूर्ति रिपोर्ट विभाग को पठाई जाए।	ऑडिट आक्षेपों की आमसभा द्वारा निरस्तीकरण करने की कार्यवाही हेतु तथा ऑडिट आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट मय ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार महोदय जयपुर राजस्थान को भिजवाने हेतु व्यवस्थापक को निर्देशित किया गया है।	ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति कर आमसभा में ऑडिट रिपोर्ट सहित रखा जाए एवं इनकी पुष्टि करवाकर अनुपालना रिपोर्ट सहित रजिस्ट्रार महोदय सहकारी समितियां राजस्थान सरकार जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2	4	समिति कर्मचारियों से सम्बन्धित अंकित आक्षेपों की पूर्ति की जाए।	इस हेतु आगामी आमसभा में प्रस्ताव रखा जा रहा है। कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी से सम्बन्धित वास्तविक राशि का आंकलन कर प्रावधान करने हेतु व्यवस्थापक को निर्देशित किया जा रहा है।	ग्रेच्यूटी अधिनियम–1972 की पूर्ण रूपेण पालना सुनिश्चित की जाए।
3	7–11	सदस्य रजिस्टर निर्धारित पेशानी में पूर्ण नहीं है।	सदस्य रजिस्टर पूर्ण किया जा रहा है।	सहमति है।
4	12–15	हिस्सा रजिस्टर पूर्ण कर सदस्यों को इनके हिस्सा प्रमाण पत्र वितरित किये जाए।	हिस्सा राशि परिवर्तनशील होने के कारण हिस्सा प्रमाण पत्र जारी करने मे दिक्कतें आ रही हैं। हिस्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही अमल में ली जा रही है। सदस्य की अधिकृत पूंजी का ध्यान रखा जाता है।	सहकारी नियमानुसार हिस्सा रजिस्टर मय हिस्सा धारकों के हस्ताक्षर सहित ता–तारीख पूर्ण कर रखा जाए। हिस्सा राशि के अन्तर के कारणों का पता लगाकर सहकारी नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
5	16	सीसीबी कोटा से हिस्सा प्रमाण पत्र पाप्त किये जाए। हाडौती बैंक बारां, ओडी आईसीआईसीआई बैंक बारां तथा आईसीआईसीआई कोटा खातो कई वर्षों से निष्क्रिय हैं। अतः सस्था प्रबन्धन द्वारा इन खातों को बन्द करवाकर राशि प्राप्त कराने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाए।	सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक कोटा से हिस्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। निष्क्रिय खातों को बन्द करने की कार्यवाही व्यवस्थापक को निर्देशित किया गया है।	संस्था की विनियोजित राशि के अप्राप्त हिस्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु त्वरित प्रयास कर संस्था में सुरक्षित रखा जाए।
6	20	आलोच्य अवधि में किए गए प्रशासनिक व्यय की पुष्टि व स्वीकृति समिति आमसभा से करवाई जाए। समिति की बारां शाखा में भी किए जाने वाले खर्चो के वाउचर्स मन्त्री महोदय से स्वीकृत करवाकर ही सम्बन्धित को राशि भुगतान किया जाना अपक्षित है। साथ ही अधिकतम राशि के नकद लेनदेन के स्थान पर राजस्थान/विभागीय आदेशों/निर्देशो के अनुसार चैक माध्यम से सम्बन्धित का राशि भुगतान की जानी अपेक्षित है।	स्वीकृत बजट से हुए अधिक व्यय की पुष्टि आगामी आमसभा में रखकर की जाना प्रस्तावित है।	खर्चो में कमी एवं व्यवसाय में वृद्धि करते हुए लाभ में भी वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। आलोच्य अवधि में किये गए समस्त खर्चों का अधिकृत पदाधिकारी से प्रमाणित करवाये जाए।

Scanned with CamScanner

क्रम	आक्षेप क्रमांक	आक्षेप विवरण	संस्था द्वारा पूर्ति	अंकेक्षक टिप्पणी
7	21	बाह्य ऋण ओडी के रूप में प्राप्त किया है, का भुगतान किया जाना संस्था हित में अपेक्षित है।	अति आवश्यक होने पर ही ओवरड्राफ्ट सुविधा को उपयोग में लिया गया है। भविष्य में ओवरड्राफ्ट सुविधा कम से कम उपयोग में लाने हेतु व्यवस्थापक को निर्देशित किया गया है।	सहमति है।
8	25–26	सदस्यान से पुराना सम्पूर्ण ऋण जमा होने पर ही नया ऋण दिया जाए। एडजेस्टमेन्ट प्रथा को बन्द किया जाए। इमरजेन्सी या वाहन ऋण वर्ष मे एक सदस्य को एक बार ही दिया जाए। रिपेयिंग केपेसिटी का ऋण देते समय ध्यान रखा जाए। सदस्यों के ऋण आवेदन पत्र अपूर्ण पाए गए हैं। वित्तीय संस्था होने के कारण ऋण आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कमी होने पर ऋण स्वीकृत नही किया जाए।	अति आवश्यक होने पर ही एडजेस्टमेन्ट प्रथा का उपयोग किया जाएगा। अंकेक्षक महोदय द्वारा दिए गए सुझाव पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।	सहमति है।
9	27	कर्मचारियों को ऋण देने की सीमा उनकी आय के अनुरूप तय की जाए।	संस्था द्वारा कर्मचारियों को देय ऋण उनकी आय के अनुरूप नही देकर निर्धारित राशि ही ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। भविष्य में आगामी आमसभा में कर्मचारी ऋण के सम्बन्ध में नई नीति बनाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।	सहमति है।
10	36	संस्था वृहद स्तर पर वित्तीय कार्य कर रही है एवं पूर्ण कम्प्यूटरीकृत है, परन्तु संस्था में कम्प्यूटर कर्मचारी होने के पश्चात् भी सॉफ्टवेयर मे ता–तारीख प्रविष्टियां का इन्द्राज नहीं किया जाता है। सॉफ्टवेयर में समस्त प्रविष्टिया एक साथ की जाने से गम्भीर अन्तर उत्पन्न होते हैं। अत संस्था का इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रासेसिंग (ईडीपी) अंकेक्षण करवाया जाए।	संस्था का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकृत है। अतः अंकेक्षक महोदय द्वारा किए गए सुझाव अनुसार आगामी अंकेक्षण से पूर्व ईडीपी अंकेक्षण करवा लिया जाएगा।	संस्था हित हेतु शीघ्रताशीघ्र ईडीपी अंकेक्षण करवाया जाना अपेक्षित है।
11	37	बकाया ऋण का वर्गीकरण किए जाने हेतु सन्देहात्मक बट्टा खाता रजिस्टर प्रचलित किया जाए।	उक्त रजिस्टर प्रचलित करने हेतु व्यवस्थापक को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।	सहकारी नियमानुसार उक्त रजिस्टर बनाया जाकर ता–तारीख पूर्ण रखा जाए एवं सम्बन्धित प्रविष्टिया किया जाना अपेक्षित है।

SATISH SANDEEP JAIN & CO.
KOTA
Chartered Accountants

Scanned with CamScanner

क्रम	आक्षेप क्रमांक	आक्षेप विवरण	संस्था द्वारा पूर्ति	अंकेक्षक टिप्पणी
12	38	अवधिपार ऋणी सदस्यों से वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जाए।	अवधिपार ऋणी सदस्यों से वसूली की कार्यवाही सहकारी अधिनियम अनुसार की जा रही है। उक्त अवधिपार ऋणियों से समय–समय पर सम्पर्क कर राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।	अवधिपार ऋणों की तत्परता से पूर्ण वसूली अपेक्षित है।
13	59	ऑडिट रिपोर्ट प्रश्न 59.1.1 में वर्णित समिति कर्मचारी श्री शैलेन्द्र शर्मा द्वारा किए गए गबन की मय ब्याज वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।	उक्त आक्षेप के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी एवं शाखा कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। आगामी अंकेक्षण के पूर्व अंकेक्षक महोदय द्वारा लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति कर ली जाएगी।	शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाए। त्रुटियों का निराकरण एवं संचालक मण्डल द्वारा वाउचरों का प्रमाणन करवाया जाए।
14	60	सन्तुलन चित्र में अंकित मदों में की गई टिप्पणी के आक्षेपों की पूर्ति की जाए।	आगामी अंकेक्षण के पूर्व अंकेक्षक महोदय द्वारा लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति कर ली जाएगी।	सहमति है।
15	60.1.4	गत वर्ष एवं आलोच्य अवधि में किए जाने वाले निर्माण एवं रखरखाव हेतु उपरजिस्ट्रार महोदय सहकारी समितियां कोटा से स्वीकृतियां प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं की गई हैं। वक्त आगामी ऑडिट करवाए जाने निर्माण कार्य व भविष्य में करवाए जाने वाले कार्यों के सम्बनध में विभागीय स्वीकृति प्राप्त की जाना आवश्यक है।	भवन कोष प्रावधान में रखी राशि का उपयोग हेतु संचालक मण्डल द्वारा नीति निर्धारण कर आमसभा से पुष्टि करवाकर राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। विभागीय स्वीकृति प्राप्त कर ही उपयोग में ली जाएगी।	सहमति है।
16	60.2.5	संस्था द्वारा सदस्य ऋण बकाया की जो सूची उपलब्ध कराई गई है वो संस्था मे चालू कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर से निकाली हुई है, जिनका कि मिलान संस्था द्वारा उपलब्ध सन्तुलन चित्र के ऋण बकाया राशि से नहीं होता है। उक्त अन्तर का मिलान किया जाना अपेक्षित है। उक्त सम्बन्ध मे विस्तृत आक्षेप प्रशनांक 60.2.12 में अंकित है।	सॉफ्टवेयर कम्पनी से इस सम्बन्ध में कार्यवाही करवाई जा रही है। जल्द ही यह खामी दुरूस्त करवाई जाएगी।	सहमति है।
17	60.2.10	संचालक मण्डल के सदस्यों को किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाए तथा सहकारी अधिनियम की पूर्णरूपेण पालना सुनिश्चित की जा सके। उक्त आक्षेप यथावत है।	भविष्य में संचालक मण्डल को अतिआवश्यक होने पर ही अग्रिम राशि का भुगतान किया जाएगा।	सहमति है।

SATISH SANDEEP JAIN & CO. KOTA Chartered Accountants

Scanned with CamScanner

क्रम	आक्षेप क्रमांक	आक्षेप विवरण	संस्था द्वारा पूर्ति	अंकेक्षक टिप्पणी
18	60.2.11	संस्था द्वारा कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती की जाती है। साथ ही संस्था का अपना अंशदान मिलाकर प्रतिमाह पीएफ जमा कराया जाता है जोकि संस्था द्वारा लाभ हानि में न दिखाकर सन्तुलन चित्र में दिखाया गया है, जोकि गलत है। दुरूस्त किया जाना अपेक्षित है।	आगामी अंकेक्षण वर्ष से समायोजन करवाया जाएगा।	सहमति है।
19	60.2.12	समिति के कम्पयूटर सॉफ्टवेयर के प्रारम्भिक शेष एवं गत वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के सन्तुलन चित्र के अन्तिम शेष में भारी अन्तर पाया गया है। अतः कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रारम्भिक शेषों मे सुधार किया जाना अप्रक्षित है।	आगामी अंकेक्षण के पूर्व अंकेक्षक महोदय द्वारा लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति कर ली जाएगी।	सहमति है।

सतीश संदीप जैन एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

(सतीश चंद्र जैन)
पार्टनर

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त आक्षेप पूर्ति समिति की किताब कार्यवाही के पृष्ठ क्रमांक .... दिनांक .... व सुरक्षित है।

मन्त्री　　　　लेखाकार　　　　व्यवस्थापक–लेखा

Scanned with CamScanner